पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

पशुपालकों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खुलेंगे पशु औषधि केन्द्र

प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र की तर्ज पर प्रत्येक विकास खण्ड में स्थापित होंगे केन्द्र

लखनऊ : 05 फरवरी, 2026

पशुपालकों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण पशु औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र की तर्ज पर पशु औषधि केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ डॉ. सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में एक पशु औषधि केन्द्र खोला जाएगा, जिससे पशुपालकों को पशुओं के उपचार हेतु दवाएं किफायती दरों पर सुलभ हो सकें।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पशु औषधि केन्द्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को फार्मासिस्ट का नाम एवं उसका वैध पंजीकरण विवरण, दुकान हेतु न्यूनतम 120 वर्ग फुट स्थान का प्रमाण पत्र तथा ड्रग सेल लाइसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केन्द्र एवं सहकारी समितियों से जुड़े योग्य लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यह योजना भारत सरकार की पशुधन स्वास्थ्य एवं बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत संचालित की जाएगी।

पशु औषधि केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों को 5000 रूपये का शुल्क अदा करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी http://pashuaushadhi.dahd.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि पशु औषधि केन्द्रों की स्थापना से पशुपालकों को समय पर सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पशुधन स्वास्थ्य में सुधार के साथ–साथ पशुपालन को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा।

सम्पर्क सूत्र– धर्मवीर खरे

वैशाली माथुर/02:57 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in